न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 260 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मै. मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लि. 10, ट्रोपिकल ड्राईव, एम जी. रोड़, गिलोरनी, न्यू दिल्ली, 110030 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश शर्मा

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **सुनिता यादव पत्नी अर्जुन लाल यादव** निवासी ढ़ाणी धोलूवाली, अरनिया जिला सीकर राज. 332603
2. **अर्जुन लाल यादव पुत्र कानाराम यादव** निवासी ढ़ाणी धोलूवाली, अरनिया जिला सीकर राज. 332603

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 11 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सारांश सक्सेना द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सुनिता यादव पत्नी अर्जुन लाल यादव व अर्जुन लाल यादव पुत्र कानाराम यादव** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **खसरा न. 515 रकबा 0.16 है., ख.न. 516 रकबा 0.06 है., ख.न. 517 रकबा 2.16 है., ख.न. 519 रकबा 0.04 है., ख.न.**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

575 रकबा 1.05 है., ख.न. 577 रकबा 0.09 है., ख.न. 580 रकबा 0.68 है., ख. न. 600 रकबा 0.40 है. कुल किता 8 कुल रकबा 4.64 है. के हिस्सा 2/11 में से आवासीय भूखण्ड राजस्व ग्राम अरनिया पटवार हल्का अरनिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 342.70 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में उपहारकर्ता (कानाराम) की भूमि, दक्षिण दिशा में उपहारकर्ता (कानाराम) की भूमि, पूर्व दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता व पश्चिम दिशा में उपहारकर्ता (कानाराम) की भूमि स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹10,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये दस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **28.04.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **28.04.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सुनिता यादव पत्नी अर्जुन लाल यादव व अर्जुन लाल यादव पुत्र कानाराम यादव** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **खसरा न. 515 रकबा 0.16 है., ख.न. 516 रकबा 0.06 है., ख.न. 517 रकबा 2.16 है., ख.न. 519 रकबा 0.04 है., ख.न. 575 रकबा 1.05 है., ख. न. 577 रकबा 0.09 है., ख.न. 580 रकबा 0.68 है., ख.न. 600 रकबा 0.40 है. कुल किता 8 कुल रकबा 4.64 है. के हिस्सा 2/11 में से आवासीय भूखण्ड राजस्व ग्राम अरनिया पटवार हल्का अरनिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 342.70 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में उपहारकर्ता (कानाराम) की भूमि, दक्षिण दिशा में उपहारकर्ता (कानाराम) की भूमि, पूर्व दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता व पश्चिम दिशा में उपहारकर्ता (कानाराम) की भूमि स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **11 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)